

समयबद्ध/ शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 371 /84-2-2021

प्रेषक,

एस.पी.सिंह,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन ।

सेवा में,

निदेशक ,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ,
उ.प्र. लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग 2

लखनऊ दिनांक (17 मई , 2021

विषय : राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग के 21 अध्यक्ष एवं 84 सदस्यों के रिक्त/ रिक्त होने वाले पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है । इस संबंध में उक्त पदों के विज्ञापन पत्रांक: सी.पी.127/84-2-2021,दिनांक 12 मई, 2021/ प्रेस विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को (सॉफ्ट कॉपी सहित) संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञापन के प्रेस विज्ञप्ति को हिंदी एवं अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में डी.ए.वी.पी./ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अतिशीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित कराये गये प्रेस विज्ञप्ति की एक-एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक यथोक्त ।

भवदीय,

Digitally signed by the
State Information
Public Relation Officer
2021
Telephone: 22222222


(एस.पी.सिंह)

विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निबंधक, राज्य उपभोक्ता आयोग उ.प्र. को विज्ञापन/ प्रेस विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापन/ प्रेस विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020 को आयोग के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराएँ ।
संलग्नक यथोक्त ।

आज्ञा से,


(प्रेमैन्द्र कुमार गुप्त)
अनुसचिव ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।
विज्ञापन पत्रांक: सी.पी. 127 दिनांक: 12 मई, 2021
प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग में रिक्त अथवा सितम्बर, 2021 तक रिक्त होने वाले अध्यक्ष पद के 21 तथा सदस्यगण (सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य) के 84 पदों पर नियुक्ति की जानी है। विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं।

2- उक्त पदों पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-10 के अनुसार जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे तथा 65 वर्ष की आयु के अधीन 04 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, परन्तु यह इस शर्त के अधीन है कि वह निम्नलिखित बिन्दु संख्या- अ, ब तथा ब (1) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तों की पूर्ति करता है ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी।

इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि 11 जून, 2021 होगी।

(अ) अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अर्हता:-

कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह न हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।

(ब) सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता:-

(1) विज्ञापन की तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो।

(3) क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखता हो।

ब (1) कोई व्यक्ति जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा यदि वह -

(क) ऐसे किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास कि सजा प्राप्त हो, अथवा

(ख) दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो, अथवा

(घ) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कॉर्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा

I/65482/2021

(ड.) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

3- जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। लिखित परीक्षा नहीं होगी।

4. जिन आवेदकों द्वारा सदस्य, जिला उपभोक्ता आयोग के पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन संख्या सीपी 202/84-2-2020/सीपी 14/88 टीसी, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 के क्रम में आवेदन किया गया है; को पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

5. ऐसे व्यक्ति जो अध्यक्ष/सदस्य के पद पर दो बार चयनित हो चुके हैं; पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

6. अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ ₹0 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत जो निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 50 प्र 0 लखनऊ के पक्ष में देय हो, संलग्न करेंगे।

7. जो आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होते हैं या जो अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं; उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं शुल्क वापसी नहीं की जाएगी।

8. अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो संलग्न किया जायेगा।

9. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 50 प्र 0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ उ.प्र. पिन कोड- 226010 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सीधे प्रेषित किया जायेगा।

10. आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन-पत्र प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। पदों की संख्या तथा स्थान में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में भी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

11. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 50 प्र 0 लखनऊ की वेबसाइट <http://scdrc.up.nic.in> से भी प्राप्त कर सकते हैं।

Digitally signed by PWS
DN: cn=PWS
Date: 2021.05.17 13:28:28 IST
Reason: Approved

(एस.पी. सिंह)

विशेष सचिव ,

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

पत्रांक सी.पी. 127(1)/84-2-2021 दिनांक: 11 मई, 2021

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के 21 एवं सदस्यगण के 84 (सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य) रिक्त / रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति की जानी है । विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं । उक्त नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत बने उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी । उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन पत्रांक : सी.पी. 127/84-2-2021, दिनांक 12 मई, 2021 एवं आवेदन प्रारूप, राज्य उपभोक्ता आयोग की विभागीय वेबसाइट <http://scdrc.up.nic.in/> पर अपलोड है । आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 11 जून, 2021 निर्धारित है । इच्छुक अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से सेवा शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर, वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए राज्य आयोग कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा सीधे निर्धारित तिथि दिनांक 11 जून, 2021 तक आवेदन निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 50 प्र०, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ उ.प्र. पिन कोड- 226010 के पते पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जाएंगे ।

Digitally signed by Dr.
Suresh Singh
Date: 2021.05.12 13:29:02 IST
Reason: Approved

(एस.पी. सिंह)

विशेष सचिव ,

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन ।

जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष, सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र
का प्रारूप

विज्ञापन पत्रांक: सी.पी. 127/84-2-2021

दिनांक: 12 मई, 2021

1. आवेदित पद का नाम.....
2. अभ्यर्थी का नाम -
(क) हिन्दी में.....
(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.....
3. पिता/पति का नाम-
(क) हिन्दी में.....
(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.....
4. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित).....
(ख) विज्ञापन की तिथि को आयु-.....वर्ष.....माह.....दिन
5. (क) शैक्षिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा).....
.....
(ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा).....
.....
6. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा.....
.....
.....(उपभोक्ता मामलें, विधि, लोक मामलें, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन .अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव)
(ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं। (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्नक के रूप में रखें).....
7. (क) स्थायी पता.....
.....
(ख) पत्र व्यवहार का पता.....
.....
(ग) ईमेल आईडी.....
(घ) मोबाइल नम्बर/ टेलीफोन नं० एस.टी.डी. कोड सहित.....
(ड.) गृह जनपद.....
8. (क) वर्तमान व्यवसाय.....
.....
(ख) पूर्व में किस राज्य के न्यायिक अधिकारी रहे हैं(विवरण).....

अभ्यर्थी	अपनी
अद्यतन	स्वप्रमाणित
फोटो	चिपकायें।

(ग) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (प्रमाण पत्र सहित).....

9. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति).....

(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)

10. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण

(क) पिता.....

(ख) पति/पत्नी.....

11. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें।.....

12. यदि किसी अभ्यर्थी जो पूर्व में अपर जिला जज/जिला जज रहा है अथवा कार्यरत है वह जिला आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें.....

यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें.....

यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 10 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें.....

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण.....

13. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में शासकीय सेवा में रहा हो अथवा कार्यरत है, वह जिला आयोग में सामान्य सदस्य/महिला सदस्य के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो यदि उसके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें.....

यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें.....

यदि सेवायोजन अवधि में गत 10 वित्तीय वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें.....

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण.....

14. अभ्यर्थी यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्यरत है अथवा रहे हैं तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (ए) विभाग का नाम.....
(बी) नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम
(सी) सेवा अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहे).....
(डी) वेतनमान एवं मूलवेतन.....
(ई) सेवानिवृत्ति तिथि.....
(एफ) विभाग का पत्र व्यवहार का पता.....

(जी) सेवानिवृत्त के समय पदनाम.....

15- अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा, जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटो संलग्न किया जायेगा।

16. अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता आयोग, 30प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. पिन कोड- 226010 को सभी प्रमाण पत्रों एवं बैंक ड्राफ्ट रु.1000/- (रु.एक हजार मात्र) मूल रूप में निर्धारित अंतिम तिथि तक भेजना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

18. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में भी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

तिथि

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

स्थान

अभ्यर्थी का नाम.....

घोषणा पत्र

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि - (1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य हैं और वे शर्तों में पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं

सही है और मैंने इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम.....